ऑन लाईन नं. GCMS 2021/00160

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 19/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री हुकमचन्द अरोड़ा पुत्र श्री हरीराम अरोड़ा, जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 02, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :– नानक प्रोविजन स्टोर, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर

विक्रेता एवं मालिक

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 11.10.2021

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।
श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.11.2021 को दोपहर0 02.00 पी.एम. पर फर्म मै. नानक प्रोविजन स्टोर, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री हुकमचन्द अरोड़ा पुत्र श्री हरीराम अरोड़ा, जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 02, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखे **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम के 14 पैक पेट बोतले **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** विक्रय हेतु रखी हुई थी जिसमें से वास्ते नमूना जांच 4 बोतलें **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** लिया जिसके पेटे 160/– रूपये नगद देकर गवाहान , विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** को एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** के लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर के–1116 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के

हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप के–1116 नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण के–1116 **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता हुकमचन्द अरोड़ा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/278/एक्ट/2020/310 दिनांक 20.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1116 **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** (Sub-Standard Food & Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री हुकमचन्द अरोड़ा पुत्र श्री हरीराम अरोड़ा, मैसर्स नानक प्रोविजन स्टोर, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 23.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.11.2020 को मेरे प्रतिष्ठान से **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** का नमूना लिया गया था जो (Sub-Standard Food & Misbranded Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त तेल मस्टर्ड किंग ब्राण्ड में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** का सैम्पल के–1116 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/278/एक्ट/2020/310 दिनांक 20.11.2020 द्वारा सब (Sub-Standard Food & Misbranded Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.11.2020 को मेरे प्रतिष्ठान से **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** का नमूना लिया गया था जो (Sub-Standard Food & Misbranded Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त तेल मस्टर्ड किंग ब्राण्ड में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (Mustard King)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1116 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform top the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Addivtive) Regulations, 2011 and **Misbranded Food** under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.The Sample is also Contravene Regulations of 2.1.1(5) of Food Safety and Standards (Prohibition and restrictions on sales) Regulations,2011. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त हुकमचन्द अरोड़ा पुत्र श्री हरीराम अरोड़ा – फर्म नानक प्रोविजन स्टोर, लालगढजाटान जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त हुकमचन्द अरोड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **सरसों तेल , (मस्टर्ड किंग ब्राण्ड)** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर